



प्रेस नोट दिनांक 08.09.2021 थाना नागल जनपद सहारनपुर

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय सहारनपुर व श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय सहारनपुर द्वारा निर्गत आदेशो निर्देशो के अनुपालन मे तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी देवबन्द महोदय के निर्देशन मे संदिग्ध व्यक्ति/वांछितो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे चैकिंग अभियान के अन्तर्गत श्री बीनू चौधरी थानाध्यक्ष थाना नागल के कुशल नेतृत्व मे थाना नागल पुलिस द्वारा दिनांक 07.09.21 पेशबुक आईडी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के सम्बन्ध मे थाना हाजा पर पंजीकृत मु0अ0स0 177/21 धारा 505(2) भादवि का सफल अनावरण करते हुये अभियुक्त विवेक कश्यप पुत्र राजकुमार निवासी कस्बा व थाना नागल सहारनपुर को गिरफ्तार किया गया थानाध्यक्ष नागल श्री बीनू चौधरी के लगातार अपराधियो पर कसते शिंकजे से अपराधियो मे हडकम्प मचा हुआ है वही थाना क्षेत्र का आम जनमानस चैन की सांस ले रहा है तथा थाना नागल पुलिस के सराहनीय कार्य की प्रशंसा कर रहा है।



अभि0 का नाम व पता:-

1. अभियुक्त विवेक कश्यप पुत्र राजकुमार निवासी कस्बा व थाना नागल सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. उ0नि0 श्री रोबिन राठी
2. का0 1253 अनिरुद्ध सिंह



प्रेस नोट दिनांक 08.09.2021 थाना नागल जनपद सहारनपुर

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय सहारनपुर व श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय सहारनपुर द्वारा निर्गत आदेशो निर्देशो के अनुपालन मे तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी देवबन्द महोदय के निर्देशन मे संदिग्ध व्यक्ति/वांछितो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे चैकिंग अभियान के अन्तर्गत श्री बीनू चौधरी थानाध्यक्ष थाना नागल के कुशल नेतृत्व मे थाना नागल पुलिस द्वारा दिनांक 07.09.2021 को सर्वोदय नर्सिंग होम रेलवे रोड कस्बा नागल से 7 हजार रूपये व मौबाईल फोन किसी अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर लेने के सम्बन्ध मे थाना हाजा पर पंजीकृत मु0अ0स0 178/21 धारा 380 भादवि का सफल अनावरण करते हुये अभियुक्त अनस उर्फ गुडडू पुत्र मतलूब निवासी ग्राम बुढडाखेडा थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर को चोरी किये गये माल के साथ गिरफ्तार किया गया थानाध्यक्ष नागल श्री बीनू चौधरी के लगातार अपराधियो पर कसते सिंकजे से अपराधियो मे हडकम्प मचा हुआ है वही थाना क्षेत्र का आम जनमानस चैन की सांस ले रहा है तथा थाना नागल पुलिस के सराहनीय कार्य की भूरी भूरी प्रंशसा कर रहा है



अभि0 का नाम व पता:-

अभियुक्त अनस उर्फ गुडडू पुत्र मतलूब निवासी ग्राम बुढडाखेडा थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

3. उ0नि0 श्री कैलाश चन्द शर्मा थाना नागल सहारनपुर
4. है0का0 586 राजीव पंवार थाना नागल सहारनपुर
5. रि0का0 2175 गोपाल सिंह थाना नागल सहारनपुर

प्रेस विज्ञापित दिनांक 08-09-2021

अवगत कराना हैं कि दिनांक 07-09-2021 को थाना कोतवाली देहात पर वर्ष-2018 का एक माल एवं वर्ष 2020 के 36 आबकारी अधि० के माल मुकदमाती कच्ची शराब, देशी शराब व अंग्रेजी शराब को मा० न्यायालय के अनुपालन में विधिवत् तरीके से फोटोग्राफी एवं वीडियो कराते हुये जेसीबी मशीन मंगाकर गुड्डा खुदवाकर नष्ट करायी गई। जिनका विवरण निम्नवत् हैं:-

नष्ट करायी गयी शराब का विवरण:-

- देशी शराब-250 लीटर।
- कच्ची शराब-98 लीटर।
- अंग्रेजी शराब-388 लीटर।

मौजूद अधिकारीगण का विवरण:-

- ❖ श्री दुर्गा प्रसाद क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय, स०पुर।
- ❖ श्री अशोक त्रिपाठी, वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी, स०पुर।
- ❖ श्री उमेश कुमार रोरिया, थाना प्रभारी निरीक्षक थाना को०देहात, स०पुर।
- ❖ श्री उपेन्द्र कुमार, आबकारी निरीक्षक, सहारनपुर।
- ❖ एचएम 352 लोकेन्द्र सिंह थाना को०देहात, स०पुर।

प्रेस विज्ञापित दिनांक 08-09-2021

अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन), सहारनपुर द्वारा 06 अभियुक्तों के विरुद्ध की गई जिला बदर की कार्यवाही:-

अवगत कराना हैं कि अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन), सहारनपुर द्वारा 06 अभियुक्तों को धारा 03 यूपी गुण्डा एक्ट के अन्तर्गत दोषी पाते हुये जनपद की सीमाओं से 06 माह की अवधि के लिये निष्कासित किया गया हैं। निष्कासित किये गये अभियुक्तों का नाम व पता निम्नवत् है:-

क्र०सं०	अभियुक्तों का नाम व पता
1	मीरु उर्फ हरमीत निवासी ग्राम दतौली रांघड सुल्तानपुर थाना कोतवाली देहात, सहारनपुर।
2	शिवा पुत्र इन्दरपाल निवासी ग्राम दतौली रांघड़ सुल्तानपुर थाना कोतवाली देहात, सहारनपुर।
3	इन्द्रपाल पुत्र सुखराम निवासी ग्राम दतौली रांघड़ सुल्तानपुर थाना कोतवाली देहात, सहारनपुर।
4	मोनू उर्फ त्रिलोकचन्द निवासी ग्राम दतौली रांघड़ सुल्तानपुर थाना कोतवाली देहात, सहारनपुर।
5	टोल्ली उर्फ दोलतराम पुत्र रज्जा उर्फ राजाराम निवासी ग्राम दतौली रांघड़ सुल्तानपुर थाना कोतवाली देहात, सहारनपुर।
6	शौकीन पुत्र फारुख निवासी ग्राम दबकौरा थाना बेहट, सहारनपुर।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 08.09.2021

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र फास्ट ट्रेक कोर्ट/एफटीसी-1, सहारनपुर द्वारा अभियुक्त को 07 वर्ष का कारावास व 30 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सुनाई गई सजा:-

अवगत कराना है, कि दिनांक 16-05-2015 को वादी निवासी सरसावा जनपद सहारनपुर की 24 वर्षीय पुत्री के साथ अभियुक्त विकास उर्फ विककी पुत्र जबर सिंह नि० सरसावा जनपद सहारनपुर द्वारा घर में घुसकर बलात्कार करने की सूचना पर थाना सरसावा पर मु०अ०सं० 156/15 धारा 452, 376ए भादवि पंजीकृत किया गया था। उपरोक्त अभियोग एसटी नं० 39/2016 पर माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र फास्ट ट्रेक कोर्ट/एफटीसी-1, स०पुर में विचाराधीन था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में कोर्ट पैरोकार, सरसावा द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासों के कारण माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र फास्ट ट्रेक कोर्ट/एफटीसी-1, स०पुर द्वारा दिनांक 07-09-2021 को अभियुक्त विकास उर्फ विककी पुत्र जबर सिंह उपरोक्त को मु०अ०सं० 156/2015 धारा 452, 376ए, भादवि में दोषी पाते हुए 07 वर्ष का कारावास 30 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

प्रेस नोट दिनांक 08-09-2021

थाना बेहट पुलिस द्वारा अवैध शराब सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार :-

दिनांक 07-09-2021 को थाना बेहट पुलिस द्वारा ढोल्ला मोड थाना बेहट से अभि० टीटू पुत्र पाल्ला निवासी घोलरा थाना बेहट, सहारनपुर को 06 बोतल देशी शराब हरियाणा मार्का सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना बेहट पर मु०अ०सं० 450/21 धारा 60/63 आबाकारी अधि० पंजीकृत किया गया।

थाना बेहट पुलिस द्वारा अवैध शराब सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार :-

दिनांक 07-09-2021 को थाना बेहट पुलिस द्वारा जंगल ग्राम कलसिया थाना बेहट से अभि० नसीम पुत्र शब्बीर निवासी बुक्का थाना बेहट, सहारनपुर को 20 पक्वे देशी शराब यू०पी० मार्का सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना बेहट पर मु०अ०सं० 452/21 धारा 60 आबाकारी अधि० पंजीकृत किया गया।

थाना चिलकाना पुलिस द्वारा अवैध शराब सहित 02 अभियुक्त गिरफ्तार :-

दिनांक 07-09-2021 को थाना चिलकाना पुलिस द्वारा ग्राम फिरोजाबाद अहाडी तिराहा से अभि० 1-विशु पुत्र जगपाल व 2-शुभम पुत्र कबूल निवासी ग्राम अब्दुल्लापुर अहाडी थाना चिलकाना, सहारनपुर को 16 बोतल देशी शराब हरियाणा मार्का सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना चिलकाना पर मु०अ०सं० 319,320/21 धारा 63 आबाकारी अधि० पंजीकृत किया गया।

थाना चिलकाना पुलिस द्वारा अवैध शराब सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार :-

दिनांक 07-09-2021 को थाना चिलकाना पुलिस द्वारा दुमझेडी बैंगनी तिराहा से अभि० अतीक पुत्र हफीज निवासी ग्राम चौरा कलां थाना चिलकाना, सहारनपुर को 12 बोतल देशी शराब हरियाणा मार्का सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना चिलकाना पर मु०अ०सं० 321/21 धारा 63 आबाकारी अधि० पंजीकृत किया गया।

थाना को०देहात पुलिस द्वारा नाजायज चाकू सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार :-

दिनांक 07-09-2021 को थाना को०देहात पुलिस द्वारा हबीबगढ लडकियों के मदरसे के पास से अभि० तय्यब उर्फ कालू पुत्र स्व० राशीद निवासी हबीबगढ थाना को०देहात, सहारनपुर को 01 नाजायज चाकू सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना को०देहात पर मु०अ०सं० 461/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

मीडिया/सोशल मीडिया सेल
जनपद सहारनपुर।